

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर (CMHO) की अभिशंषा के आधार पर श्री विजेन्द्र सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राबाउमावि रींगस, सीकर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 10.11.2017 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


निदेशक.

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2015 दिनांक 04/07/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चूरु
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-II) सीकर
3. प्रधानाचार्य, राबाउमावि रींगस, सीकर को प्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह व्याख्याता अंग्रेजी का मूल विकलांगता प्रमाण पत्र (ईमित्र द्वारा जारी दिनांक 21.03.2018) संलग्न कर प्रेषित है।
4. श्री विजेन्द्र सिंह, व्याख्याता अंग्रेजी, राबाउमावि रींगस, सीकर
5. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

Order